वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 26.06.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",दैनिक जागरण, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, अमर उजाला, आज, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 26.06.2024

जीपीएस रहित वाहन से ही होगा खाद्यान्न परिवहन

खाद्यान्न हैंडलर व परिवहन ठेकेदारों संग बैठक करते आरएफसी पुलकित गर्ग● जागरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अब से बिना जीपीएस लगे किसी भी वाहन में खाद्यान्न की ढुलाई नहीं की जाएगी। वाहनों का रूट चार्ट एफसीआइ को अवश्य पहले ही दे दिया जाए, जिससे एफसीआइ मजदूरों की उपलब्धता समय से कर सके। यह निर्देश संभागीय खाद्य नियंत्रक व वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने दिए। वह मंगलवार को प्राधिकरण सभागार में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत नियुक्त खाद्यान्न के हैंडलर एवं परिवहन ठेकेदारों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। टीडी में ट्रकों के गेट पास मिलने के बाद चालान कटाते समय, रियल टाइम को चालान में अंकित किया जाए तथा ट्रकों को खाद्यान्न लोडिंग के लिए समय से एफसीआइ डिपो में भेजा जाए।

दैनिक जागरण–दि0 26.06.2024

10 बीघा अवैध प्लाटिंग पर गरजा वीडीए का बुलडोजर

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ मंगलवार को वीडीए का बुलडोजर गरजा। जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि अवैध तरीके से प्लाटिंग करने वालों की सूची बनाकर उनके खिलाफ एक-एक कर कार्रवाई की जा रही है। कई कालोनाइजरों को चेतावनी तक दी गई। सारनाथ वार्ड के रमना में वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए भोनू सिंह दो बीघा में और ब्रजेश पांडेय चार बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। इसके अलावा उमरहा में चार में कुछ लोग अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। तीनों स्थानों पर बाउंड्री तोड़ने के साथ कालोनाइजर को चेतावनी दी गई है। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि नगवां वार्ड के काशी अपार्टमेंट और बजरडीहा में माधुरी कुमारी और लोकेश तिवारी अवैध तरीके से निर्माण कर रहे थे। भवन को सील करने के साथ भेलूपुर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।

दैनिक जागरण—दि0 26.06.2024

215 गांवों का 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वीडीए में शामिल

216 गांवों में से करखियांव को छोड़कर बाकी पर कैबिनेट की मुहर, बनारस, चंदौली और मीरजापुर के कई गांवों में बढ़ा दायरा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने, आमजन को मूलभूत सुविधा दिलाने और अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की सीमा के विस्तार पर मंगलवार को कैबिनेट की मुहर-लग गई। शासन की ओर से प्रस्तावित 216 गांवों में से करखियांव को छोड़कर 215 पर सहमति जताई गई है।

राजातालाब तहसील के 94 गांवों के 99.75 वर्ग किलोमीटर, पिंडरा तहसील के 30 गांवों के 59.13 वर्ग किलोमीटर, सदर तहसील के 18 गांवों के 23.43 वर्ग किलोमीटर, जनपद चंदौली के सकलडीहा तहसील के दो गांवों के 1.50 वर्ग किलोमीटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील के 54 गांवों के 77.19 वर्ग किलोमीटर तथा जनपद मीरजापुर के चुनार तहसील के 17 गांवों के 19.64 वर्ग किलोमीटर के साथ कुल 215 गांवों के 280.65 वर्ग किलोमीटर को वीडीए सीमा में लिया गया है।

- अवैध निर्माण पर लगेगा अंकुश लोगों को मिलेगी सस्ती जमीन
- 635 गांवों में 793 वर्ग किलोमीटर वीडीए सीमा में है

वीडीए सीमा में शामिल 215 गांवों के सर्वे के साथ सुनियोजित विकास कराया जाएगा जिससे आमजन को सुविधाएं मिल सकें। वीडीए यहां कोई जमीन नहीं खरीदेगी, सिर्फ विकास कराएगी।

-पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए

बनारस में ये गांव हुए शामिल

राजातालाब तहसील : 94 गांवों में 99.75 वर्ग किलोमीटर

सरौनी, कुरौना, जंसा, हरसोस, परमंदापुर (सिटी), हरदासपुर, मीरावन, परमपुर, नरैचा, चकदीहाराम, बेलौड़ी, दयापुर, गंगापुर (टीए), जमीन सुलच्छन, लछिमनपुर, घमहापुर, जमीनदर्शन, जमीन कुशी कथक, जमीन टेकीकहार, जमीन हिकमतशाह, हिरदईपुर, परतापीपट्टी, बघेड़, चक दर्शन, जमीन कनेरी, कनेरी, कन्हईपुर, भईदपुर, सुईचक, गंजारी, हरपुर, जमीन शिवसागर, वीरभानपुर, कचनार, रानीबाजार, टोडरपुर, मिल्की चक, नब्बे चक, निदौरा, काशीपुर, गौरा, चकमातलदेई, पयागपुर, असवारी, महावन, कठीपुर, मढैली कला, शहबाजपुर, बढ़ौनी खुर्द, भदरासी, देउरा चक, जगरदेवपुर, गंगपुर, परशुपुर, काजीचक, तोहफापुर, पैड़गांव, नियैसीपुर, खरगरामपुर, माधोपुर, कल्याणपुर, भवानीपुर, धानापुर, लसकरिया, शाहंशाहपुर, आराजीलाइन, पनियरा, उपाध्यायपुर, गोविंदपुर, शक्तियारपुर, बहोरनपुर, राजापुर, बभनियांव, बहेडवा, जीतापुर, टहिया महावन, बसंतपुर महावन, गजापुर महावन, भीखमपुर, चकअधिया, दीपापुर, भीमचंडी, गोविंदपुर भीमचंडी, गोपाल चक, बुड़ापुर, बंगालीपुर, भिखारीपुर, चित्तापुर, रखौना, भुवालपुर, खजुरी, मेहंदीगंज, कल्लीपुर, नागेपुर।

पिंडरा तहसील : 30 गांवों में 59.13 वर्ग किलोमीटर बहुतारा, जददूपुर, चकैदर, कैथौली, समोगरा, बेलवां, लखमीपुर, घमहापुर, सौनवरसा, टेट्टूआ, अहिरानी, नगापुर, पिंडराई, पिंडरा, असवालपुर, अजईपुर, जमापुर, लोकापुर, फूलपुर, सुरही, थाना, रामपुर, बर्जी, चहेरा, विंदा, थरी, माना (मनी), प्रहलादपुर, उघोपुर, कठरवां।

सदर तहसील : 18 गांवों में 23.43 वर्ग किलोमीटर सरैया, अहिरौली, हरदासपुर, सुलेमापुर, गुरवट, भटौली, गोसाईपुर, पलही पट्टी, महादेवपुर, फतेहपुर, राजापुर, रामगांव, बरथौली, ताड़ी, गरसड़ा, हाजीपुर, दुमितवा, बेला।

चंदौली का सकलडीहा तहसील : दो गांव में क्षेत्रफल 1.50 वर्ग किलोमीटर : बिहरा, खैरूद्दीनपुर

पीडीडीयू नगर तहसील : 54 गांवों में 77.19 वर्ग किलोमीटर

कनेरा, महादेवपुर, सलेमाबाद, ककरहीकला, तारापुर, जीवनपुर, महेवा, ककरही खुर्द, संघती, बगही, सदलपुरा, चंदौली खुर्द, दयालपुर, मखदूमपुर, कोरी, जलालपुर, मटकुट्टा, नसीरपुर पहन, धूसखास, बसरतियां, हुड़रहा, घमिना, ब्लनी, महरो, वाजिदपुर, डवेढिल, गहरपुरा, अकबरपुर उर्फ रामपुर, गंज ख्वाजा, रामपुर उर्फ करनपुर, डिग्घी, मखदूमपुर, झांसी, रामपुर उर्फ अकबरपुर, मुहब्बतपुर (मोहम्मदपुर), नईकोट, रेवसा, बरहुली, कठौड़ी, रेमा, अलीनगर, जगदीशपुर उर्फ भटरिया, गुवास, नियमताबाद, गंगेहरा, कुंडलिया, बगया, भरछा, तलपरा, सुरौली, मैनुद्दीनपुर, शेखपुर, बौरी, बाराडीह।

मीरजापुर का चुनार तहसील : 17 गांवों में 19.64 वर्ग किलोमीटर

चुरामनपुर, रूदौली, सुरसी, महरछ, आराजीलाइन सुल्तानपुर, पुरानी छावनी, केला बेला, कुसहां, अदलपुरा, सुल्तानपुर खास, मुजाहिदपुर, आराजी सुल्तानपुर, मझवां तरास, चकताल पश्चिम पट्टी, ताल विसुई, चकतात विसुई, चक कुसहां।

बढ़ेगा जोन और वार्ड

वीडीए सीमा मे अभी कुल 13 वार्ड है। इन वार्डों को पांच जोन मे बांटा गया है। वीडीए सीमा मे 215 गांव शामिल होने के साथ वार्ड और जोन दोनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके साथ अधिशासी, सहायक और अवर अभियंता की जरूरत वीडीए को और पड़ेगी।

काशी के पक्के महाल की बात करें तो यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आसपास क्षेत्रों में जमीन काफी महंगी है। वहीं, कुछ वाराणसी-चंदौली हाईवे, बीएचयू के पीछे, सारनाथ, शिवपुर, रोहनिया आदि क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है और यहां जमीन की कीमत तेजी से बढ़ रही है। शहरी सुविधा के नाम पर लोग गांव को छोड़कर शहर में रहना पसंद करते हैं। इसको देखते हुए वीडीए ने बनारस, चंदौली और मीरजापुर के 216 गांवों को अपनी सीमा में शामिल करने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा था। यह जरूर रहा कि शासन ने आपत्ति जताते हुए सुझाव भी दिए थे। वीडीए ने इसके बाद संशोधित प्रस्ताव भेजा गया था।

अवस्थापना निधि से होगा काम : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग का कहना है कि गंगा नदी के बायों ओर नगर निगम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, छावनी और तहसील के कुछ गांव हैं। दाहिने हिस्से में रामनगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे क्षेत्र हैं। कुल 635 गांवों में 793 वर्ग किलोमीटर वीडीए सीमा में है। तेजी से जनसंख्या वृद्धि व प्रमुख मार्गों पर तेजी से औद्योगिक एवं व्यावसायिक बढ़ रहा है।

दैनिक जागरण—दि0 26.06.2024

दो माह में आवंटित होगा प्लाट, छह माह में मिलेगा कब्जा : वीडीए सचिव

पहले चरण में पूर्व में 73 आवंटियों को मिलेगा प्लाट, फिर नए लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

- बारिश से पहले गड्ढे में मिट्टी भरने का निर्देश, नहीं बरतें लापरवाही
- 48 हेक्टेयर जमीन पर हो रहा सीवर, सड़क व बिजली का काम

जागरण संवाददाता, वाराणसी : ट्रांसपोर्ट नगर योजना को धरातल पर लाने और प्रगति देखने मंगलवार को विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा अधीनस्थों संग मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे। पूर्व में आवंटी 73 ट्रांसपोर्टरों से सुझाव लेने के साथ उन्हें दो माह के अंदर प्लाट आवंटित करने का भरोसा दिलाया। साथ ही छह माह के अंदर कब्जा देने की बात कही। ट्रांसपोर्टरों ने रेट को लेकर मौके पर सवाल उठाया तो उन्होंने अगली बैठक में तय करने की बात कही। वहीं, नए ट्रांसपोर्टरों को बाद में प्लाट देने का भरोसा दिलाया।

मोहनसराय में विकास प्राधिकरण 82 हेक्टेयर में ट्रांसपोर्ट नगर बसाने का खाका खींचने के साथ 48 हेक्टेयर जमीन पर सीवर, नाली, सड़क, बिजली का काम शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे वीडीए सचिव ने तहसीलदार सुनील कुमार श्रीवास्तव से जमीन के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। इसके बाद अधिशासी अभियंता आनंद मिश्रा, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता अतुल मिश्रा से एक-एक योजना के बारे में पूछा। काम धीमी गति से होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजी लाने को कहा। उन्होंने बारिश से पहले गड्ढे में मिट्टी भराई का काम तेजी से करने को कहा, क्योंकि बारिश होने के बाद ट्रैक्टर संग जेसीबी चलना मुश्किल हो जाएगा। सचिव ने बताया कि 12 और 18 चौड़ी सड़क पर प्लाट बनाया जा रहा है जिससे वाहनों के आने-जाने में कोई परेशानी नहीं हो।

वहीं, प्लाटिंग के बाहर किसान शिवराज तिवारी ने अपने जमीन व पंपिंग सेट पर जाने के लिए रास्ता की मांग की जिस पर सचिव ने तहसीलदार को मौका मुआयना करने का निर्देश दिया। इस दौरान नगर नियोजक प्रभात कुमार, कानूनगो सफ्तार अली अंसारी, सुनील कपूर, सूर्यमणि तिवारी, जगदीश अग्रवाल, टीएन तिवारी, तारा शंकर वर्मा आदि मौजूद थे।

मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के बारे में अभियंताओं से जानकारी लेते वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा • जागरण

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 26.06.2024

अवैध प्लाटिंग पर गरजा वीडीए का बुलडोजर

VARANASI: विकास प्राधिकरण से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ मंगलवार को वीडीए का बुलडोजर गरजा. जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि अवैध तरीके से प्लाटिंग करने वालों की सूची बनाकर उनके खिलाफ एक-एक कर कार्रवाई की जा रही है. कई कालोनाइजरों को चेतावनी तक दी गई. सारनाथ वार्ड के रमना में वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए भोनू सिंह दो बीघा में और ब्रजेश पांडेय चार बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे. इसके अलावा उमरहा में चार में कुछ लोग अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे. तीनों स्थानों पर बाउंड्री तोड़ने के साथ कालोनाइजर को चेतावनी दी गई है.

अमर उजाला–दि0 26.06.2024

अवैध निर्माण के खिलाफ वीडीए की कार्रवाई

वाराणसी। बिना मानचित्र पास कराए प्लॉट पर चल रहे निर्माण के खिलाफ वीडीए की टीम ने बुधवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वार्ड सारनाथ में भोनू सिंह दो बीघा व बृजेश पांडेय चार बीघा पर और बराई में अज्ञात लोगों द्वारा चार बीघा जमीन पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। इस दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमार मौजूद रहे। ब्यूरो

आज–दि0 26.06.2024

बजरडीहा में भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंताओं के टीम ने मंगलवार को नगवां वार्ड में आराजी संख्या ५०/१ हनुमान नगर कालोनी, मौजा बजरडीहा, वार्ड नगवां में स्वीकृत मानचित्र के विपरित दो भूखण्डों पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था। भवनों पर चार तल बनाने के बाद पांचवें तल के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया था। जानकारी मिलने पर २८ जून २०२३ को उनके द्वारा दखिल मानचित्र को निरस्त कर दिया गया और उन्हें निर्देश दिया गया कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य करें, लेकिन भवनस्वामी ने चोरी-छीपे निर्माण कार्य जारी रखा। अधिकारियों के निर्देश पर मंगलवार को भेलूपुर पुलिस के सहयोग से भवन को सील कर दिया गया और भेलूपुर थाने के अभिरक्षा में भवन को सौंप दिया गया। कारवाई में जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता आरके सिंह और स्थानीय पुलिस मौजूद थी।

दस बीघा जमीन पर चली जेसीबी

विप्रा अभियंताओं ने मंगलवार को सारनाथ के रमना क्षेत्र में बीना ले आउट स्वीकृत कराये दो कास्तकारों के प्लाटिंग पर जेसीबी से निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कास्तकार भोनू सिंह के दौ बीघा, बृजेश पाण्डेय चार बीघा बीना ले आउट स्वीकृत कराये प्लाटिंग कर रहे थे। इसके अलावा लगभग छह बीघे जमीन पर प्लाटिंग हो रही थी; इस प्रकार १० बीघे जमीन पर हुए प्लाटिंग को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। अभियान में जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमार और क्षेत्रीय पुलिस मौजूद थी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 26.06.2024

वीडीए सचिव ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना के प्लाटिंग का किया निरीक्षण

रोहनिया। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के आदेश के क्रम में मंगलवार को मोहनसरायएबैरवन में वीडीए के सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना के प्रथम प्रोजेक्ट परिसर में ट्रांसपोर्टरों के लिए बिल्डिंग, ऑफिस गोदाम एवं पार्किंग स्थल सड़क, सीवर इत्यादि

निर्माण के लिए संबंधित टीम के साथ प्लाटिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर पहुंचे ट्रांसपोर्टरों को भ्रमण कर प्लाटिंग का विजिट कराया और जुलाई के लास्ट तक प्लाट एलॉटमेंट करने का आश्वासन दिया। ट्रांसपोर्टरो ने सचिव से प्लाट का उचित रेट पर मूल्यांकन करने के लिए अपील किया। प्लाटिंग के बाहर किसान ने अपने जमीन एवं पंपिंग सेट पर जाने के लिए रास्ता की मांग किया जिस पर सचिव ने मौका मुआयना कर तहसीलदार को निर्देश देते हुए रास्ता देने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता आनंद कुमार मिश्र एवं अरविंद शर्मा, शिवाजी मिश्र, अवर अभियंता अतुल मिश्र, नगर नियोजक प्रभात कुमार सिंह, तहसीलदार सुनील कुमार श्रीवास्तव, कानूनगोह सफ्तार अली अंसारी, सुनील कपूर, सूर्यमणि तिवारी, जगदीश अग्रवाल, टीएन तिवारी, ताराशंकर वर्मा आदि ट्रांसपोर्टर सहित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 26.06.2024

विप्रा सीमामें बढ़े ९४ राजस्व गांव

विभागकी ९९.७५ वर्ग किलोमीटर सीमा और बढ़ायी गयी, प्रदेश सरकारकी कैबिनेटने लगायी मुहर

प्रदेश सरकारकी कैबिनेटने वाराणसी विकास प्राधिकरणके २१५ राजस्व गांवोंको शामिल कर लिया है। इस प्रकार २१५ ग्रामोंका क्षेत्रफल २८०.६५ वर्ग किलोमीटर है। इसके अन्तर्गत ९४ राजस्व गांवमें ९९.७५ वर्ग किलो मीटर, तहसील पिण्डराके ३० राजस्व गांव जिसका क्षेत्रफल ५९.१३ वर्ग मीटर, सदर तहसीलके १८ राजस्व गांव जिनका क्षेत्रफल २३.४३ किलोमीटर, जनपद चन्दौलीकी तहसील सकलडीहामें दो राजस्व गांव जिनका क्षेत्रफल १.५० वर्ग किलोमीटर, तहसील पण्डित दीनदयाल उपाध्यायनगरमें ५४ राजस्व गांवोंको शामिल किया गया है, जिनका क्षेत्रफल ७७.१९ वर्ग किलोमीटर है। जनपद मीरजापुर और तहसील चुनारकी १७ राजस्व गांवोंको शामिल किया गया है जिनका क्षेत्रफल १९.६४ वर्ग किलोमीटर होगा। इस प्रकार वाराणसी विकास प्राधिकरणमें कुल २१६ गांवोंको शामिल किया जा रहा है, जिसमें तहसील पिण्डराके करखियांव गांवको छोड़कर २१५ गांवोंमें सीमा विस्तारकी अनुमति कैबिनेट दी है। राजातालावमें सरौनी, कुरौना, जंसा, हरसोस, परमानन्दपुर, हरदासपुर, मिरावन, परमपुर नरैचा, चकडीहाराम, बेलौड़ी, दयापुर, गंगापुर, जमीन सुलक्ष्न, लक्ष्मनपुर, घमहापुर, जर्मीदर्शन, कुशीकथक, टेकीकहार,

हिकमतशाह, हृदयीपुर, कीर्तापट्टी, दधेल, चकदर्शन, जमीनकनेरी, कनेरी, कन्हईपुर, भईदपुर, सुकचक, गंजारी, हरपुर, शिवसागर, वीरभानुपुर, कचनार, रानीबाजार, टोडरपुर, मिल्कीचक, नब्बेचक, निदौरा, काशीपुर, गौरा, चकमातलदेई, पयागपुर, असवारी, महावन, काठीपुर, मडैली कला, सहबाजपुर, मढौला खुर्द, भदरासी, देवराचक, जगरदेवपुर, गंगापुर, परसूपुर, काजीचक, तोहफापुर, पैड़गांव, नियैसीपुर, खरगरामपुर, माधोपुर, कल्यानपुर, भवानीपुर, धानापुर, लसकरिया, शहंशाहपुर, आराजीलाइन, पनियरा, उपाध्यायपुर, गोविन्दपुर, शक्तियारपुर, बहोरनपुर, राजापुर, बभिनियाव, बहेड़वा, जीतापुर, टहिया महावन, बसंतपुर महावन, गजापुर महावन, भीषमपुर, चकअधियार, दीपापुर, भीमचण्डी, गोविन्दपुरा भीमचण्डी, गोपालचक, बुड़ापुर, बंगालीपुर, भिखारीपुर, चित्तापुर, रखौना, भुआलपुर, खजुरी, मेंहदीगंज, कल्लीपुर और नागेपुर।

इसी प्रकार पिण्डरा तहसीलमें बहुतारा, जददूपुर; चकेन्दर, कैथोली, समोगरा, बेलवां, लखीमपुर, घमापुर, सोनबरसा, टेटुवा, अहिरानी, नगापुर, पिण्डरायी, पिण्डरा, असवालपुर, अजईपुर, जमापुर, लोकापुर, फूलपुर, सुरहीं, रामपुर, बरजी, चेहरा, बिन्दा, थरी, माना, प्रह्लादपुर, उधोपुर और कठरवां। सदर तहसीलमें सरैया, अहिरौली, हरदासपुर, सुलेमापुर, गुरवट, भटौली, गोसाईंपुर, पलहीपट्टी, महादेवपुर, फतेहपुर, राजापुर, रामगांव, बरथौनी, ताड़ी, गड़सरा, हाजीपुर, दुमितवा और बेला। इसी प्रकार सकलडीहा और चन्दौलीमें बिहरा और खैरुद्दीन शामिल किये गये हैं, जबकि चन्दौलीमें ५४ गांवमें कनेरा, महादेवपुर, सलेमापुर, ककरही कला, तारापुर, जीवनपुर, महेवा, ककरही खुर्द, संघती, बगही, सदलपुरा, चन्दौली खुर्द, दयालपुर, मखदूमनपुर, कोरी, जलालपुर, मटकुट्टा, नसीरपुर, धूसखास, बसरतियां, हुडरहा, धमीना, महरो, वाजिदपुर, डवेढिल, गहरपुरा, अकबरपुर उर्फ रामपुर, गंजख्वाजा, रामपुर उर्फ करनपुर, डिग्घी, मखदूमनपुर, झांसी, रामपुर उर्फ अकबरपुर, मुहब्बतपुर, नयी कोट, रेवसा, बरहुली, कथौड़ी, रेमा, अलीनगर, जगदीशपुर उर्फ भटरिया, गुवास, नियमताबाद, गंगेहरा, कुन्डलिया, बगया, बरछा, तलपरा, सुरौली, मैनुद्दीनपुर, शेखपुर, बौरी, बाराडीह। इसी प्रकार चुनार जनपद-मीरजापुरके १७ गांव, जिसमें चुरामनपुर, रुंदौली, सुरसी, महरछ, आराजीलाइन सुल्तानपुर, पुरानी छावनी, केलाबेला, कुशहां, अदलपुरा, सुल्तानपुर खास, मुजाहिदपुर, आराजी सुल्तानपुर, मछवां तरास, चकताल पश्चिमपट्टी, ताल बिसुई, चकताल बिसुई, चक कुसहां गांवोंको विकास प्राधिकरणकी सीमामें सम्मिलित कर लिया गया है।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 26.06.2024

वीडीए के सीमा विस्तार को मिली कैबिनेट से मंजूरी

वाराणसी (एसएनबी)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया हैं। विकास क्षेत्र में गंगा नदी के बायीं ओर स्थित क्षेत्र यथा वाराणसी नगर निगम, बनरस हिंदू विश्वविद्यालय, छावनी, और तहसील वाराणसी के राजस्व ग्रामों सहित विकास क्षेत्र में

वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामो को सम्मिलित किया गया

सम्मिलित हैं तथा भाग-बी में विकास क्षेत्र के दाहिने हिस्से को शामिल किया गया था, जिसमें रामनगर, पं. दीनदयाल नगरपालिका परिषद्, पं. दीनदयाल नगर रेलवे अधिसूचित क्षेत्र और शामिल तहसीलों के राजस्व गांव सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 635 ग्राम सभाओं से युक्त 793 वर्ग किलोमीटर का वाराणसी विकास क्षेत्र वर्तमान में नियोजित विकास के लिए प्रभावी है। वर्तमान समय में वाराणसी नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों मे जनसंख्या वृद्धि एवं प्रमुख मार्गों पर तीव्र औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां विद्यमान हैं। इसके कारण नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में होने वाले विकास एवं निर्माण कार्य को सुनियोजित विकास का स्वरूप देने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार औचित्यपूर्ण होने के दृष्टिगत तहसील-राजातालाब के 94 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 99.75 वर्ग किलोमीटर, तहसील-पिण्डरा के 30 राजस्व

ग्रामों क्षेत्रफल 59.13 वर्ग किलोमीटर,, तहसील सदर के 18 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 23.43 वर्ग किलोमीटर, जनपद-चंदौली की तहसील सकलडीहा के 02 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 1.50 वर्ग किलोमीटर, तहसील-पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर के 54 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 77.19 वर्ग किलोमीटर, तथा जनपद-मिर्जापुर की तहसील-चुनार के 17 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 19.64 वर्ग किलोमीटर, अर्थात कुल 215 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 280.65 वर्ग किलोमीटर को वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव मंगलवार को स्वीकृत कर दिया गया है। इस निर्णय से वाराणसी के सुनियोजित विकास में सहायता मिलेगी इन क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा। इसमें स्पष्ट किया जाता है कि इस विस्तार का अर्थ ये नहीं है कि इन ग्रामों की भूमि वीडीए या सरकार खरीद लेगी। इस प्रकार के भ्रम की स्थिति कोई ना फैलाये। ये सभी विस्तारित होते शहरों में होने वाली आवश्यक प्लानिंग की सामान्य प्रक्रिया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 216 ग्रामों को अपनी विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव शासन को अनुमोदन के लिए प्रेषित किया गया था जिसमें से तहसील पिंडरा के ग्राम करखियांव को छोड़कर अन्य समस्त 215 ग्रामों को विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित करने की अनुमति प्राप्त हुई है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के विस्तारीकरण के प्रस्तावित तहसीलवार राजस्व ग्राम

तहसील-राजातालाब-जनपद-वाराणसी 94 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 99.75 वर्ग किलोमीटर : सरौनी, कुरौना, जंसा, हरसोस, परमदपुर (सि.ठी.), हरदत्तपुर, मोहन्न, परमपुर, सरैया, चक्कीहारम, बेलांड़ी, दयापुर, गंगापुर (टी.ए.), जमीन मुलक्कन, लखिमनपुर, पम्परपुर, जमीनदर्शन, जमीन कुशी कथक, जमीन टेकीकहा, जमीन हिकमताबाद, हिरदईपुर, परताप्पीपट्टी, बेपेड़, चक दर्शन, जमीन कनेरी, कनेरी, कन्दईपुर, भईसपुर, सुईचक, गंजारी, हरपुर, जमीन शिवसागर, वीरभानपुर, कचनार, रानीबाजार, टोडरपुर, मिल्की चक, नब्बे चक, निदौरा, काशीपुर, गौरा, चकमहलदेई, पयागपुर, असवारी, महावन, कठेपुर, महौली कला, शहबाजपुर, महौली खुर्द, भदासी, देउरा चक, जगदेवपुर, गंगपुर, परशुपुर, कानीचक, तोतलपुर, पैड़गाँव, नियोजीपुर, खरगरामपुर, माधोपुर, कल्याणपुर, भवानीपुर, धानापुर, लसकरिया, शाहंशाहपुर, अराजी लाइन, पनियरा, उपाध्यायपुर, गोविंदपुर, शहिदाबादपुर, बहोरनपुर, राजापुर, बभनियांव, बरेठवा, जीतापुर, टिकरी महावन, बसंतपुर महावन, गजापुर महावन, भीखमपुर, चकअधिया, दीपापुर, भीमचण्डी, गोविंदपुर भीमचण्डी, गोपाल चक, बुड़ापुर, बंगालीपुर, भिखारीपुर, चितापुर, रखौना, भुर्वीलपुर, खजुरी, मेहंदीगंज, कल्लीपुर, जोगेपुर

तहसील-पिण्डरा- जनपद-वाराणसी 30 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 59.13 वर्ग किलोमीटर : बहुतरा, जद्दूपुर, चकेदर, कैथौली, समोगरा, बेलवां, लखमीपुर, चमारपुर, सोनवरसा, रेंदुआ, अहिरानी, नगापुर, पिण्डराई, पिण्डरा, असवालपुर, अजईपुर, जगापुर, लोकापुर, फूलपुर, सुरही, बाना, रामपुर, बर्जी, चहेरा, चिंदा, बरी, माला (मनी), प्रह्लादपुर, ऊधोपुर, कठरवां

तहसील-सदर- जनपद-वाराणसी 18 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 23.43 वर्ग किलोमीटर : सरैया, अहिरौली, हरदत्तपुर, सुलेमापुर, गुरवट, भटौली, गोसाईपुर, पलही पट्टी, महादेवपुर, फतेहपुर, राजापुर, रामगांव, बरथौली, लड़ी, गरथड़ा, राजेपुर, दुमिलवा, बेला

तहसील-सकलडीहा- जनपद-चन्दौली 02 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 1.50 वर्ग किलोमीटर : बिहरा, खीरुद्दीनपुर

तहसील-प.दी.द.उ.नगर, जनपद-चन्दौली 54 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 77.19 वर्ग किलोमीटर : कनेरा, महादेवपुर, सलेमाबाद, ककरहीकला, तारापुर, जीवनपुर, महेवा, ककरही खुर्द, संघती, बगही, सदलपुरा, चन्दौली खुर्द, दयालपुर, मखदूमपुर, कोरी, जलालपुर, मरकुटवा, नसीरपुर पहन, पुरुसवाम, बसाढ़ियां, हुडवा, भोगिया, बसनी, महरो, वाजिदपुर, हथियाव, महरपुरा, अकबरपुर उर्फ रामपुर, गंज ख्वाजा, रामपुर उर्फकरनपुर, डिग्घी, मखदूमपुर, झांसी, रामपुर उर्फ अकबरपुर, मुहब्बतपुर (मोहम्मदपुर), नईकोट, रेवसां, बघुली, कठौड़ी, रेमा, अलीनगर, जगदीशपुर उर्फ भटिरया, गुवास, नियमताबाद, सगेहरा, कुढ़ीलिया, बगया, भदवा, तलपरा, सुठौली, मैनुद्दीनपुर, शेखपुर, बीरी, बघाडीह

तहसील-चुनार-जनपद-मिर्जापुर 17 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 19.64 वर्ग किलोमीटर : पुरावनपुर, कदौली, सुरसी, मड़वा, अराजी लाइन, सुल्तानपुर, पुरानी छावनी, केला बेला, कुम्हरी, अदलपुरा, सुल्तानपुर खास, मुजाहिदपुर, अराजी सुल्तानपुर, मड़वा तथास, चकताल पश्चिम पट्टी, ताल विसुई, चकताल विसुई, चक कुम्हरी

राष्ट्रीय सहारा–दि0 26.06.2024

वीडीए सचिव ने ट्रांसपोर्टरों के साथ किया मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के प्लाटिंग का निरीक्षण

रोहनिया/वाराणसी (एसएनबी)। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के आदेशानुसार मंगलवार को मोहनसराय, बैरवन में वीडीए के सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना के प्रथम प्रोजेक्ट परिसर में ट्रांसपोर्टरों के लिए बिल्डिंग, ऑफिस, गोदाम एवं पार्किंग स्थल सड़क, सीवर इत्यादि निर्माण के लिए संबंधित टीम के साथ प्लाटिंग का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मौके पर पहुंचे ट्रांसपोर्टरों को भ्रमण कर प्लाटिंग का विजिट कराया और जुलाई के लास्ट तक प्लाट एलॉटमेंट करने का आश्वासन दिया। ट्रांसपोर्टरो ने सचिव से प्लाट का उचित रेट पर मूल्यांकन करने के लिए अपील किया। प्लाटिंग के बाहर किसान शिवराज तिवारी ने अपने जमीन व पंपिंग सेट पर जाने के लिए रास्ता की मांग किया। जिस पर सचिव ने मौका मुआयना कर तहसीलदार को निर्देश देते हुए रास्ता देने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता आनंद कुमार मिश्रा एवं अरविंद शर्मा, शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता अतुल मिश्रा, नगर नियोजक प्रभात कुमार सिंह, तहसीलदार सुनील कुमार श्रीवास्तव, कानूनगो सफ्तार अली अंसारी, सुनील कपूर, सूर्यमणि तिवारी, जगदीश अग्रवाल, टीएन तिवारी, ताराशंकर वर्मा आदि ट्रांसपोर्टर सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा–दि0 26.06.2024

बिना जीपीएस के किसी वाहन में खाद्यान्न के परिवहन संचालन में ना लाया जाए

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/ संभागीय खाद्य नियंत्रक अधिकारी पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में मंगलवार को प्राधिकरण सभागार में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत नियुक्त खाद्यान के हैंडलर एवं परिवहन ठेकेदारों के साथ बैठक की गई। आरएफसी द्वारा आदेशित किया गया की टीडी में ट्रको के गेट पास मिलने के बाद चालान कटाते समय, रियल टाइम को चालान में अनिवार्यरूप से अंकित किया जाए तथा ट्रकों को खाद्यान्न लोडिंग के लिए समय से एफसीआई डिपो में भेजा जाए। इसके साथ ही सख्त निर्देश दिए गए कि बिना जीपीएस के किसी वाहन में खाद्यान्न के परिवहन संचालन में ना लाया जाए। इसके अलावा रूट चार्ट एफसीआई को दे दिया जाये। जिससे एफसीआई मजदूरों की उपलब्धता समय से कर सके। आरएफसी ने परिवहन ठेकेदारों को अवगत कराया कि आप सभी को रूट चार्ट दिए जायेंगे, किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर लिखित सुझाव उपलब्ध कराए जिसका उचित समाधान किया जाएगा। बैठक के दौरान उपायुक्त खाद्य, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, एरिया मैनेजर एफसीआई, मंडल के समस्त डीएफएमओ, डीएसओ व परिवहन ठेकेदार उपस्थित रहें।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 26.06.2024

अवैध प्लाटिंग पर चला वीडीए का बुलडोजर अवैध निर्माण को किया सील

वाराणसी। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। सारनाथ वार्ड के अंतर्गत रमना में बिना ले-आउट पास कराये भोनू सिंह ने 2 बीघा तथा ब्रिजेश पाण्डेय ने 4 बीघा एवं बराई उमराह में एक अज्ञात की तरफ से 4 बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से रमना/बराई/उमराह में कुल 10 बीघे में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन टीम ने नगवां वार्ड के अंतर्गत माधुरी कुमारी पत्नी अमरनाथ सिंह एवं लोकेश तिवारी पुत्र स्व. बिरेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से काशी अपार्टमेन्ट, हनुमान नगर कालोनी, मौजा-बजरडीहा, वार्ड-नगवां, पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत 2 भूखण्डों को अनाधिकृत रूप से सम्मिलित कर एवं सेटबैक को प्रभावित करते हुए लगभग तल व (जी+4) तलों का पूर्व में निर्माण कर 5 वें तल पर तीन कॉलम का निर्माण कार्य किये जाने पर पर उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही की गई थी। पक्ष द्वारा भवन का शमन मानचित्र दाखिल किया गया, जा 28 जून 2023 को अस्वीकार कर दिया गया। वर्तमान में अलग-अलग फ्लैट (ग्रुप हाउसिंग) का निर्माण पूर्ण कर अध्यासन किये जाने पर मंगलवार को स्थल को पुनः सील कर थाना भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 26.06.2024

ट्रांसपोर्ट नगर में जुलाई के अंत से होगा प्लॉट आवंटन

- वीडीए सचिव ने निर्माण कार्य का लिया जाएजा
- साथ गए ट्रांसपोर्टरों को भी भ्रमण करवाया

रोहनिया, संवाद। वीडीए सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा ने मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तहत मोहनसराय, बैरवन में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने साथ गए ट्रांसपोर्टरों को भी स्थलों का भ्रमण कराया। सचिव ने ट्रांसपोर्टरों को जुलाई 2024 के अंत तक प्लॉटों का आवंटन करने का आश्वासन दिया।

ट्रांसपोर्टरों ने प्लॉटों का उचित रेट पर आवंटन करने की अपील की। सचिव ने प्रोजेक्ट परिसर में ट्रांसपोर्टरों के लिए बिल्डिंग, ऑफिस, गोदाम एवं पार्किंग स्थल समेत सड़क, सीवर पाइप लाइन के निर्माण का जायजा लिया। उस दौरान किसान शिवराज तिवारी ने अपनी जमीन एवं पंपिंग सेट तक जाने के लिए रास्ते की मांग की। वीडीए सचिव ने तहसीलदार से मुआयना कराकर रास्ता देने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान नगर नियोजक प्रभात कुमार सिंह, तहसीलदार सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता आनंद मिश्रा, अरविंद शर्मा, शिवाजी मिश्रा, जेई अतुल मिश्रा, कानूनगो अली अंसारी, सुनील कपूर, सूर्यमणि तिवारी, जगदीश अग्रवाल, टीएन तिवारी भी थे।

हिन्दुस्तान–दि0 26.06.2024

भवन का सील तोड़ा, आदेश भी खुरच दिए

वाराणसी। भेलूपुर के बजरडीहा में वीडीए की ओर से अवैध निर्माण को सील किया गया था, साथ ही दीवार आदेश लिखवाया गया था। आरोप है कि बिल्डर आशीष, उसके कर्मचारी अशोक यादव और मोन्टी ने सील तोड़ दिया। दीवार पर लिखे गये निर्देशों को खुरचकर मिटा दिया। वीडीए के अवर अभियंता आरके सिंह की तहरीर पर भेलूपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

हिन्दुस्तान–दि0 26.06.2024

भवन का सील तोड़ा, आदेश भी खुरच दिए

वाराणसी। भेलूपुर के बजरडीहा में वीडीए की ओर से अवैध निर्माण को सील किया गया था, साथ ही दीवार आदेश लिखवाया गया था। आरोप है कि बिल्डर आशीष, उसके कर्मचारी अशोक यादव और मोन्टी ने सील तोड़ दिया। दीवार पर लिखे गये निर्देशों को खुरचकर मिटा दिया। वीडीए के अवर अभियंता आरके सिंह की तहरीर पर भेलूपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

हिन्दुस्तान–दि0 26.06.2024

वीडीए की सीमा में शामिल हुए 215 नए गांव

प्रदेश कैबिनेट की ओर से विस्तार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, नए गांव बनारस, मिर्जापुर और चंदौली जिले के

बढ़ा दायरा

वाराणसी, विशेष संवाददाता। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव को प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही वाराणसी, मिर्जापुर और चंदौली जनपद के 215 नए गांव वीडीए सीमा में शामिल हो गए हैं। इनमें वाराणसी के 142, चंदौली के 56 और मिर्जापुर के 17 राजस्व गांव हैं। प्राधिकरण इन गांवों में नियोजन और विकास की जिम्मेदारी उठाएगा।

नए राजस्व गांवों के शामिल होने से वीडीए के क्षेत्रफल में 280.65 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। अब प्राधिकरण का दायरा अब 793 वर्ग किलोमीटर का होगा। प्राधिकरण के गठन के बाद से यह सबसे बड़ा सीमा विस्तार है।

जरूरतों को देखते हुए विस्तार : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि 20 अगस्त 1974 को प्राधिकरण के गठन के बाद 28 मार्च 1978 को सीमा विस्तार हुआ था। फिर सात सितम्बर 2016 को सीमा विस्तार में संशोधन हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहां विकास तेजी से हो रहे हैं। मौजूदा जरूरतों के आधार पर वीडीए की सीमा विस्तार का फैसला किया गया है। सीमा विस्तार न होने से शहरी नियोजन में बाधाएं आ रही थीं। अब प्राधिकरण की सीमा बाबतपुर रोड पर पिंडरा तो प्रयागराज मार्ग पर मिर्जामुराद के खजुरी तक विस्तृत हो गई है। अब प्राधिकरण में 635 ग्राम सभाएं होंगी।

142 गांव बनारस, 56 चंदौली एवं 17 गांव हैं मिर्जापुर के

280.65 वर्ग किमी बढ़ गई प्राधिकरण की सीमा

793 वर्ग किमी हो गया दायरा अब वीडीए का

विस्तार पर भ्रम न हो

वीडीए उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया- 'विस्तार का अर्थ यह नहीं है कि इन गांवों की भूमि वीडीए या सरकार खरीद लेगी। इस प्रकार का भ्रम कोई न फैलाए। विस्तारित होते शहर में आवासीय प्लानिंग की जाएगी।'

करखियांव पहले से जुड़ा

प्राधिकरण ने 216 गांवों का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। उसमें पिंडरा तहसील का करखियांव गांव भी शामिल था। औद्योगिक क्षेत्र के नाते करखियांव को पहले ही अनुमति मिल चुकी थी।

वाराणसी के इन गांवों को किया गया है शामिल

राजातालाब तहसील (94 राजस्व गांव व क्षेत्रफल 99.75 वर्ग किमी): सरौनी, कुरौना, हरसोस, परमंदापुर, जंसा, हरदासपुर, मीरावन, परमपुर, नरैचा, चक दीहाराम, बेलौड़ी, दयापुर, गंगापुर, जमीन सुलक्खन, लछिमनपुर, घमहापुर, जमीन दर्शन, जमीन कुशी कथक, जमीन टेकीकहार, जमीन हिकमतशाह, हिरदईपुर, परतापी पट्टी, बघेड़, चक दर्शन, जमीन कनेरी, कन्हईपुर, भईदपुर, सुई चक, गंजारी, हरपुर, जमीन शिवसागर, वीरभानपुर, कचनार, रानीबाजार, टोडरपुर, मिल्कीचक, नब्बेचक, निदौरा, काशीपुर, गौरा, चक मातलदेई, पयागपुर, असवारी, महावन, कटीपुर, मढैली कला, शहबाजपुर, बढ़ौनी खुर्द, भदरासी, देउरा चक, जगरदेवपुर, गंगपुर, परशुपुर, काजीचक, पैड़गांव, तोहफापुर, नियैसीपुर, खरगरामपुर, माधोपुर, कल्याणपुर, भवानीपुर, धानापुर, लसकरिया, शाहंशाहपुर, आराजी लाइन, पनियरा, उपाध्यायपुर, गोविंदपुर, शक्तियारपुर, बहोरनपुर; राजापुर, बभनियांव, बहेड़वा, जीतापुर, टहिया महावन, बसंतपुर महावन, गजापुर महावन, भीखमपुर, चकअधिया, दीपापुर, भीमचंडी, गोविंदपुर, गोपाल चक, बुड़ापुर, बंगालीपुर, भिखारीपुर, चित्तापुर, रखौना, भुवालपुर, खजुरी, मेंहदीगंज, कल्लीपुर और नागेपुर।

पिंडरा तहसील (30 गांव, क्षेत्रफल-59.13 वर्ग किमी)

बहुतारा, जददुपुर, चकंदर, कैथौली, समोगरा, बेलवां, लखमीपुर, घमहापुर, सोनबरसा, टेटूआ, अहिरानी, नगापुर, पिंडराई, पिंडरा, असवालपुर, अजईपुर, जमापुर, लोकापुर, फूलपुर, सुरही, थाना, रामपुर, बर्जी, चहेरा, विंदा, थरी, माना (मनी), प्रह्लादपुर, उधोपुर और कठरवा।

सदर तहसील के 18 राजस्व गांव भी जुड़े

सरैया, अहिरौली, हरदासपुर, सुलेमापुर, गुरवट, भटौली, गोसाईपुर, पलहीपट्टी, महादेवपुर, फतेहपुर, राजापुर, रामगांव, बरथौली, ताड़ी, गरसड़ा, हाजीपुर, दुमितवा और बेला।

चंदौली: पीडीडीयू तहसील (54 गांव, क्षेत्रफल-77.19 वर्ग किमी)

कनेरा, महादेवपुर, सलेमाबाद, ककरहीकला, तारापुर, जीवनपुर, महेवा, ककरही खुर्द, संधती, बगही, सदलपुरा, चन्दौली खुर्द, दयालपुर, मखदूमपुर, कोरी, जलालपुर, मटकुट्टा, नसीरपुर पहन, घूसखास, बसरतिया, हुडरहा, घमिना, बसनी, महरो, वाजिदपुर, डवेढिल, गहरपुरा, अकबरपुर उर्फ रामपुर, गंजख्वाजा, रामपुर उर्फ करमपुर, डिग्घी, मखदूमपुर, झांसी, रामपुर उर्फ अकबरपुर, मुहब्बतपुर (मोहम्मदपुर), नईकोट, रेवसां, बरहुली, कटौड़ी, रेमा, अलीनगर, जगदीशपुर उर्फ भटरिया, गुवास, नियमताबाद, गंगेहरा, कुंडरिया, बगया, भरछा, तलपरा, सुरौली, मैनुद्दीनपुर, शेखपुर, बौरी और बाराडीह।

चंदौली जनपद : सकलडीहा तहसील (02 राजस्व गांव, क्षेत्रफल-1.50 वर्ग किमी) बिहरा और खैरूद्दीनपुर।

मिर्जापुर जनपद

चुनार तहसील (17 राजस्व ग्राम, क्षेत्रफल-19.64 वर्ग किमी)

चुरामनपुर, रूदौली, सुरसी, महरछ, आराजीलाइन सुल्तानपुर, पुरानी छावनी, केला बेला, कुसहां, अदलपुरा, सुल्तानपुर खास, मुजाहिदपुर, आराजी सुल्तानपुर, मझवा तरास, चकताल पश्चिमपट्टी, ताद विसुई, चकताल विसुई और चक कुसहां।

न्यायाधीश–दि0 26.06.2024

अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध की गई ध्वस्तीकरण एवं सीलबन्दी की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा 25 जून को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत सारनाथ वार्ड के अन्तर्गत रमना में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये भोनू सिंह द्वारा 2 बीघा तथा ब्रिजेश पाण्डेय द्वारा 4 बीघा एवं बराई उमरहा में अज्ञात द्वारा 4 बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध आज प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से रमना/बराई/ उमराहा में कुल 10 बीघे में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।इस दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमार शामिल रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।इसी क्रम में वार्ड-नगवॉं के अन्तर्गत माधुरी कुमारी पत्नि अमरनाथ सिंह एवं लोकेश तिवारी पुत्र स्व0 बिरेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा आ0सं0-50/ काशी अपार्टमेन्ट, हनुमान नगर कालोनी, मौजा-बजरडीहा, वार्ड-नगवॉं, जिला-वाराणसी पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत 2 भूखण्डों को अनाधिकृत रूप से सम्मिलित कर एवं सेटबैक को प्रभावित करते हुए लगभग 15.60स 20.30 स एवं 8.10स 7.50 स. में (स4) तल व (जी4) तलों का पूर्व में निर्माण कर 5वें तल पर तीन कॉलम का निर्माण कार्य किये जाने पर पर उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(ग) व 28 (ग) के अन्तर्गत उक्त अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गई थाइस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी,अवर अभियन्ता आर0के0 सिंह, मौजूद रहे।

न्यायाधीश–दि0 26.06.2024

सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत नियुक्त खाद्यान्न के हैंडलर एवं परिवहन ठेकेदारों के साथ बैठक आयोजित

वाराणसी। वाविप्रा के उपाध्यक्ष/ संभागीय खाद्य नियंत्रक अधिकारी पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में 25 जून को प्राधिकरण सभागार में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत नियुक्त खाद्यान के हैंडलर एवं परिवहन ठेकेदारों के साथ बैठक की गई ।आरएफसी द्वारा आदेशित किया गया की टी0डी0 में ट्रको के गेट पास मिलने के बाद चालान कटाते समय, रियल टाइम को चालान में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए तथा ट्रकों को खाद्यान्न लोडिंग के लिए समय से म डिपो में भेजा जाए इसके साथ ही सख्त निर्देश दिए गए कि बिना जी0पी0एस0 के किसी वाहन में खाद्यान्न के परिवहन संचालन में ना लाया जाए। इसके अलावा रूट चार्ट एफ0सी0आई0 को दे दिया जाये। जिससे एफसीआइ मजदूरों की उपलब्धता समय से कर सके ।आरएफसी ने परिवहन ठेकेदारों को अवगत कराया कि आप सभी को रूट चार्ट दिए जायेंगे, किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर लिखित सुझाव उपलब्ध कराए जिसका उचित समाधान किया जाएगा ।बैठक के दौरान उपायुक्त खाद्य, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, एरिया मैनेजर (इण्ड), मंडल के समस्त डीएफएमओं, डीएसओ व परिवहन ठेकेदार उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 26.06.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार को मिली कैबिनेट से अनुमति

वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया

वाराणसी।उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के प्राविधानों के अन्तर्गत वाराणसी के सुनियोजित विकास हेतु शासनादेश संख्या-3779/ 37-2-4 (डी.ए.)-72 दिनांक 20.08.1974 द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। गठन के पश्चात दिनांक 28.03.1978 एवं पुनः दिनांक 07.09.2016 की अधिसूचनाओं के माध्यम से उक्त के सीमा विस्तार हेतु संशोधित किया गया था। वर्तमान समय में वाराणसी विकास क्षेत्र में गंगा नदी के बायीं ओर स्थित क्षेत्र यथा वाराणसी नगर निगम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, छावनी, और तहसील वाराणसी के राजस्व ग्रामों सहित विकास क्षेत्र में सम्मिलित है तथा भाग - बी में विकास क्षेत्र के दाहिने हिस्से को शामिल किया गया था, जिसमें रामनगर, पं. दीनदयाल नगरपालिका परिषद्, पं. दीनदयाल नगर रेलवे अधिसूचित क्षेत्र और शामिल तहसीलों के राजस्व गांव सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 635 ग्राम सभाओं से युक्त 793 वर्ग किलोमीटर का वाराणसी विकास क्षेत्र वर्तमान में नियोजित विकास हेतु प्रभावी है।वर्तमान समय में वाराणसी नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि एवं प्रमुख मार्गो पर तीव्र औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ विद्यमान है। इसके कारण नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में होने वाले विकास एवं निर्माण कार्य को सुनियोजित विकास का स्वरूप देने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार औचित्यपूर्ण होने के दृष्टिगत तहसील-राजातालाब के 94 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 99.75 वर्ग किलोमीटर, तहसील-पिण्डरा के 30 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 59.13 वर्ग किलोमीटर,, तहसील सदर के 18 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 23.43 वर्ग किलोमीटर,जनपद-चंदौली की तहसील सकलडीहा के 02 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 1.50 वर्ग किलोमीटर, तहसील-पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर के 54 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 77.19 वर्ग किलोमीटर, तथा जनपद-मिर्जापुर की तहसील-चुनार के 17 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 19.64 वर्ग किलोमीटर, अर्थात कुल 215 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 280.65 वर्ग किलोमीटर को वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु कैबिनेट में प्रस्ताव आज दिनांक 25.06.24 को स्वीकृत कर दिया गया है। इस निणय से वाराणसी के सुनियोजित विकास में सहायता मिलेगी इन क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा। इसमें स्पष्ट किया जाता है कि इस विस्तार का अर्थ ये नहीं है कि इन ग्रामों की भूमि वीडीए या सरकार खरीद लेगी। इस प्रकार के भ्रम की स्थिति कोई ना फैलाये। ये सभी विस्तारित होते शहरों में होने वाली आवासीय प्लानिंग की सामान्य प्रक्रिया है।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 216 ग्रामों को अपनी विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था जिसमें से तहसील पिंडरा के ग्राम करखियावँ को छोड़कर अन्य समस्त 215 ग्रामों को विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित करने की अनुमति प्राप्त हुयी है।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 26.06.2024

अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। सारनाथ वार्ड के अन्तर्गत रमना में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये भोनू सिंह द्वारा 2 बीघा तथा ब्रिजेश पाण्डेय द्वारा

4 बीघा एवं बराई उमरहा में अज्ञात द्वारा 4 बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध आज प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से रमना/बराई/उमराहा में कुल 10 बीघे में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमारउपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 26.06.2024

वीडीए सचिव ने ट्रांसपोर्टरों के साथ किया ट्रांसपोर्ट नगर योजना के प्लाटिंग का निरीक्षण

रोहनिया।वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के आदेशानुसार मंगलवार को मोहनसराय,बैरवन में वीडीए के सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना के प्रथम प्रोजेक्ट परिसर में ट्रांसपोर्टरों के लिए बिल्डिंग,ऑफिस गोदाम एवं पार्किंग स्थल सड़क,सीवर इत्यादि निर्माण हेतु संबंधित टीम के साथ प्लाटिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर पहुंचे ट्रांसपोर्टरों को भ्रमण कर प्लाटिंग का विजिट कराया और जुलाई के लास्ट तक प्लाट एलॉटमेंट करने का आश्वासन दिया।ट्रांसपोर्टरो ने सचिव से प्लाट का उचित रेट पर मूल्यांकन करने हेतु अपील किया। प्लाटिंग के बाहर किसान शिवराज तिवारी ने अपने जमीन व पंपिंग सेट पर जाने के लिए रास्ता की मांग किया जिस पर सचिव ने मौका मुआयना कर तहसीलदार को निर्देश देते हुए रास्ता देने का आश्वासन दिया।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 26.06.2024

वीडीए के सीमा विस्तार को कैबिनेट से मिली मंजूरी

वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार को कैबिनेट से अनुमति प्राप्त हो गयी है।इसकी सूचना मंगलवार को वीडीए प्रशासन ने खबर जारी कर दी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है।उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के प्राविधानों के अन्तर्गत वाराणसी के सुनियोजित विकास हेतु शासनादेश संख्या-3779/ 37-2-4 (डी.ए.)-72 दिनांक 20.08.1974 द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। गठन के पश्चात दिनांक 28.03.1978 एवं पुनः 07.09.2016 की अधिसूचनाओं के माध्यम से उक्त के सीमा विस्तार हेतु संशोधित किया गया था।

वर्तमान समय में वाराणसी विकास क्षेत्र में गंगा नदी के बायीं ओर स्थित क्षेत्र यथा वाराणसी नगर निगम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, छावनी, और तहसील वाराणसी के राजस्व ग्रामों सहित विकास क्षेत्र में सम्मिलित है तथा भाग - बी में विकास क्षेत्र के दाहिने हिस्से को शामिल किया गया था, जिसमें रामनगर, पं. दीनदयाल नगरपालिका परिषद्, पं. दीनदयाल नगर रेलवे अधिसूचित क्षेत्र और शामिल तहसीलों के राजस्व गांव सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 635 ग्राम सभाओं से युक्त 793 वर्ग किलोमीटर का वाराणसी विकास क्षेत्र वर्तमान में नियोजित विकास हेतु प्रभावी है।वर्तमान समय में वाराणसी नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि एवं प्रमुख मार्गों पर तीव्र औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ विद्यमान है। इसके कारण नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में होने वाले विकास एवं निर्माण कार्य को सुनियोजित विकास का स्वरूप देने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार औचित्यपूर्ण होने के दृष्टिगत तहसील-राजातालाब के 94 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 99.75 वर्ग किलोमीटर, तहसील-पिण्डरा के 30 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 59.13 वर्ग किलोमीटर, तहसील सदर के 18 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 23.43 वर्ग किलोमीटर,जनपद-चंदौली की तहसील सकलडीहा के 02 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 1.50 वर्ग किलोमीटर, तहसील-पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर के 54 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 77.19 वर्ग किलोमीटर, तथा जनपद-मिर्जापुर की तहसील-चुनार के 17 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 19.64 वर्ग किलोमीटर, अर्थात् कुल 215 राजस्व ग्रामों क्षेत्रफल 280.65 वर्ग किलोमीटर को वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु कैबिनेट में प्रस्ताव 25.06.24 को स्वीकृत कर दिया गया है। इस निर्णय से वाराणसी के सुनियोजित विकास में सहायता मिलेगी इन क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा।इसमें स्पष्ट किया जाता है कि इस विस्तार का अर्थ ये नहीं है कि इन ग्रामों की भूमि वीडीए या सरकार खरीद लेगी। इस प्रकार के भ्रम की स्थिति कोई ना फैलाये। ये सभी विस्तारित होते शहरों में होने वाली आवासीय प्लानिंग की सामान्य प्रक्रिया है।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 216 ग्रामों को अपनी विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था जिसमें से तहसील पिंडरा के ग्राम करखियावं को छोड़कर अन्य समस्त 215 ग्रामों को विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित करने की अनुमति प्राप्त हुयी है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के विस्तारीकरण हेतु प्रस्तावित तहसीलवार राजस्व ग्राम निम्नवत है:-

तहसील-राजातालाब- जनपद-वाराणसी 94 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 99.75 वर्ग किलोमीटर सरैनी, कुरौना, जन्सा, हरसोस, परमन्दापुर (मि.ठे), हरदासपुर, मोहान, परमपुर, नरैना, चकदीहाराम, बेनीडीह, दयापुर, गंगापुर (टी.ए.), जमीन सुलचन, लखिमनपुर, चन्दापुर, जमीनदर्शन, जमीन कुशी कवक, जमीन टेकीक्वार, जमीन हिकमतशाह, हिरदेपुर, पतापौरहुं, बंबेड़ चक दर्शन, जमीन करौरी, करौरी, कल्हईपुर, भईपुर, सुई चक, गंवारी, हरपुर, जमीन शिवमाल, धौरभानपुर, कचनार, गनीबाजार, टोडरपुर, मिल्की चक, नब्बे चक, निदौरा, कसींपुर, गौरा, चकमातल्दई, पयागपुर, असवारी, महाबन, कटीपुर, मौली कला, शहबाजपुर, बढ़ैनी खुर्द, भदवसी, देउरा चक, जगदेवपुर, गंगापुर, नरहुपुर, काजीचक, तोहफापुर, पैड़ौरा, निबिहीपुर, खरगरामपुर, माधोपुर, कल्याणपुर, भवानीपुर, धानापुर, लसकरिया, शहंशाहपुर, आराजी लाइन, पनियरा, उपाध्यायपुर, गोविन्दपुर, शक्तिपालपुर, बाहेरापुर, राजापुर, बभनियाँव, बोरहा, जीतापुर, टहिया महावन, बसन्तपुर महावन, गजापुर महावन, भीखमपुर, चकअधिया, दीपापुर, भीमचण्डी, गोविन्दपुर भीमचण्डी, गोपाल चक, बुढ़ूपुर, कमालीपुर, भिखारीपुर, चितापुर, रखौना, भुर्वलपुर, खजुरी, मेहंदीगंज, कल्लीपुर, नागेपुर तहसील-पिण्डरा-जनपद-वाराणसी 30 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 59.13 वर्ग किलोमीटर बहुतारा, जददुपुर, चकन्दर, फेथौली, समोगरा, बेलवाँ, लखमीपुर, चन्दापुर, सोनवरसा, ठेठुआ, अहिरानी, नागापुर, पिण्डराई, पिण्डरा, असवालपुर, अजगईपुर, जमापुर, तोकरपुर, नुरखी, धाना, रामपुर, बर्जी, चोरा, बिन्दा, धरी, माला (मनी), प्रह्लादपुर, उधोपुर, कठवाँ तहसील-सदर- जनपद-वाराणसी 18 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 23.43 वर्ग किलोमीटर सीपा, अहिरौली, हरदासपुर, मुंशीपुर, गुलर, भटौली, गोमईपुर, पलही पट्टी, महादेवपुर, पचोहपुर, राजापुर, रामगांव, बरथौली, ताड़ी, ससरहु, हसनीपुर, दुमिलवा, बेना तहसील-सकलडीहा- जनपद-चन्दौली 02 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 1.50 वर्ग किलोमीटर बिहरा, खैरुद्दीनपुर तहसील-प.दी.द.उ.नगर, जनपद-चन्दौली 54 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 77.19 वर्ग किलोमीटर करेहा, महादेवपुर, सलेमाबाद, ककरहीकला, तारापुर, जीवनपुर, मोहवा, ककरही खुर्द, संघती, बगाही, सदलपुर, चन्दौली खुर्द, रघलपुर, मखदूमपुर, कोरी, बलालपुर, मटकुदा, नसीरपुर पहन, धूसखास, बसनियाँ, हुडहा, धमिना, बसनी, महदे, बाजिदपुर, ढेवढ़िल, गहरपुर, अकबरपुर उर्फ रामपुर, गंज ख्वाजा, रामपुर उर्फ कल्लपुर, हिन्दी, मखदूमपुर, झांसी, रामपुर उर्फ अकबरपुर, मुहम्मदपुर (मोहम्मदपुर), चंकोट, रवसा, बहुली, कठौड़ी, सेरा, अलीनगर, जलालपुर उर्फ भटीया, गुवास, नियमताबाद, गंगेहरा, कुण्डलिया, बगया, भराहा, तालपा, सूपौली, मैनुद्दीनपुर, शेखपुर, बौरी, बगाडीह तहसील-चुनार- जनपद-मिर्जापुर 17 राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 19.64 वर्ग किलोमीटर चुनमनपुर, रूदौली, सुसी, महरछ, आराजी लाइन सुल्तानपुर, पुरानी छावनी, केला बेला, कुसही, अदलपुरा, सुल्तानपुर खास, मुजाहिदपुर, आराजी सुल्तानपुर, मझवां तरफ, चकताल पश्चिम पट्टी, ताल विसुंई, चकताल विसुंई, चक कुसही